23/9
22-6-2016

# मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की तृतीय बैठक दिनांक: 04 अप्रैल, 2016 का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की तृतीय बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को उनके एनेक्सी स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की उपस्थिति निम्नवत् रही :-

| क0सं0 | नाम | पदनाम | कार्यालय |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री चंचल कुमार तिवारी | प्रमुख सचिव | पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 2 | श्री सुशील कुमार मौर्या | विशेष सचिव | पंचायती राज विभाग, उ.प्र.शासन। |
| 3 | श्री एस0के0 ओझा | विशेष सचिव | वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 4 | श्री एन0सी0 त्रिपाठी | विशेष सचिव | नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 5 | श्री उदयभानु त्रिपाठी | विशेष सचिव | बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 6 | श्री वी0एन0सिंह | विशेष सचिव | चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन। |
| 7 | श्री अनिल बाजपेई | संयुक्त सचिव | उ0प्र0 शासन। |
| 8 | श्री एस0पी0 सिंह | उपसचिव | पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 9 | जनमेजय शुक्ला | उपायुक्त | ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0। |
| 10 | डा0एस0पी0त्रिपाठी | निदेशक | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0। |
| 11 | श्री राजेन्द्र सिंह | अपर निदेशक | पंचायती राज विभाग, उ0प्र0। |
| 12 | श्री राकेश चतुर्वेदी | संयुक्त निदेशक | पंचायती राज विभाग, उ0प्र0। |
| 13 | श्री एस0एन0सिंह | उपनिदेशक(पं0)/ नोडल अधिकारी | पंचायती राज विभाग, उ0प्र0। |
| 14 | डा0 हरिश्चन्द्र | विशेष कार्याधिकारी | ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0। |
| 15 | सुमित त्रिपाठी | तकनीकी निदेशक | एन0आई0सी0, लखनउ0प्र0 शासन। |

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

| एजेण्डा बिन्दु | बैठक में लिए गए निर्णय |
|---|---|
| एजेण्डा बिन्दु-1 पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन स्थिति।<br>(1) ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाना।<br>इस मद में रू. 6.00 करोड़ की धनराशि, 1500 कम्प्यूटर सिस्टमस् हेतु रू. 40 | |

(101)
उप निदेशक (पं0)(स्था0)



निदेशक
22/4/16

हजार प्रति कम्प्यूटर सिस्टम (कम्प्यूटर, यू.पी.एस. एवं प्रिन्टर) की दर से अनुमोदित थी। उपरोक्त में से यू.पी. डेस्को को 1500 कम्प्यूटर सिस्टमस ग्राम पंचायतों में स्थापित करने हेतु धनराशि हस्तान्तरित की गई थी, जिसके सापेक्ष यू.पी.डेस्को द्वारा समस्त 1500 कम्प्यूटरस् जनपदों में उपलब्ध करवा कर रू. 5.975 करोड का उपभोग प्रमाण–पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जा चुका है।

माननीय कमेटी कृपया अवगत होना चाहे।

(2) ग्राम पंचायतों में तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत सहायक उपलब्ध कराया जाना।

पंचायत सहायकों की सेवाएं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर द्वारा लिए जाने हेतु जनपद स्तर पर ही आउट सोर्सिंग एजेंसी नामित करने के लिए निर्देश जारी हो चुके थे, किन्तु भारत सरकार के वित्त पोषण से योजना डी–लिंक होने के उपरान्त दिनांक 16.03.2015 के शासनादेश के अनुसार अग्रिम आदेशों तक प्रक्रिया स्थगित है।

पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

माननीय कमेटी कृपया अवगत होना चाहे।

(3) पंचायत भवन

भारत सरकार से योजना में 200 पंचायत भवनों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में प्राप्त धनराशि से 99 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य लिया जा सका। इस प्रकार 99 पंचायत भवनों (अनु.सं.–14 से 78 एवं अनुदान संख्या–83 से 21) हेतु रू. 10 लाख की दर से रू. 9.90 करोड़ की धनराशि 5000 से अधिक जनसंख्या वाली 31 जनपदों की 99 ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की गई थी। उपुरोक्त के सापेक्ष 98 पंचायत भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जनपद हाथरस की ग्राम पंचायत–मुरसाहन, विकास खण्ड–तमनागढी में एक पंचायत भवन का कार्य जांच के कारण स्थगित एवं रिकवरी के आदेश जारी। अवशेष पंचायत भवनों के लिए धनराशि अप्राप्त है।

माननीय कमेटी कृपया अवगत होना चाहे।

(4) आई.ई.सी.

आई.ई.सी. मद में केन्द्र एवं राज्य से योजना अन्तर्गत 1 प्रतिशत की धनराशि के रूप में रू. 59.39 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष वर्ष 2014–15 में कोई भी धनराशि व्यय नहीं हो पाई है। भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त यह धनराशि कार्यक्रम प्रबन्धन मद में हस्तान्तरित कर दी गयी है।

माननीय कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत है।

(5) कार्यक्रम प्रबन्धन

योजना की मार्गदर्शिका में कार्यक्रम प्रबन्धन के अन्तर्गत योजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य की गई है। उक्त अनुमन्य धनराशि से राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई में कार्यरत रिर्सोसेज की सेवाएं एवं आउटसोर्सिंग/संविदा के माध्यम से आवश्यक स्टाफ की तैनाती, नोडल अधिकारी, आर.जी.पी.एस.ए. एवं प्रभारी, एस.पी.एम.यू. के प्रयोगार्थ वाहनों व अन्य प्रशासनिक मद में व्यय किये जा रहे हैं। कार्यक्रम प्रबन्धन में लगभग रू. 2.98 करोड की धनराशि अवशेष है।

माननीय कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत है।

(6) वर्ष 2014–15/2016–17 हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की स्थिति

वर्ष 2014–15 में भारत सरकार को रू. 265.56 करोड का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके पश्चात् कोई भी धनराषि प्राप्त नही हुई है। वर्ष 2015–16

के बजट में भारत सरकार से योजना डि–लिंक होने के पश्चात् पुनः भारत सरकार द्वारा योजना को शत–प्रतिशत वित्त पोषित करते हुए दिनांक 02.12.2015 की सेन्ट्रल एक्जक्यूटिव कमेटी की पांचवी बैठक में धनराशि रू0 96.746 करोड़ की योजना स्वीकृत करते हुए दिनांक 29 फरवरी 2016 को धनराशि रू0 11.00 करोड़ प्रथम किश्त के रूप में जारी की गई है।

पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 से 2014–15 एवं 2015–16 तक प्राप्त धनराशि का विवरण :–

धनराशि रू0 करोड़

| क0 सं0 | वर्ष | भारत सरकार से प्राप्त धनराशि | राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि | कुल प्राप्त धनराशि | व्यय की गई धनराशि | अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012–13 | 4.77 | 1.592 | 6.36 | – | 6.36 |
| 2. | 2013–14 | 42.37 | 12.76 | 55.13 | 6.27 | 55.22 |
| 3. | 2014–15 | – | – | – | 12.48 | 42.74 |
| 4. | 2015–16 | 11.00 | – | 11.00 | 34.31 | 19.43 |
| | | कुल धनराशि | | 72.49 | 53.06 | 19.43 |

- योजना अन्तर्गत वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक प्राप्त कुल धनराशि रू0 72.49 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 5307.53 लाख (72 प्रतिशत) का उपभोग प्रमाण–पत्र भारत सरकार को दिनांक 4 नवम्बर 2015 एवं 30 मार्च 2016 से प्रेषित्।

**माननीय कमेटी के अवगतार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।**

**एजेण्डा बिन्दु–2 वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की अवशेष धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की प्रगति स्थिति।**

भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 17.09.2015 में कार्यक्रम के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से पंचायत सचिवों के लिए रू. 40,000 की दर से 8,000 लैपटॉप तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि से कार्यक्रम प्रबन्धन के अन्तर्गत कार्यरत ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत ह्यूमन रिसोर्सेज के वेतन हेतु गतिविधियों का अनुमोदन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

रू0 लाख में

| Sl. No. | Amount approved by CEC | Approved Amount |
|---|---|---|
| 1. | Laptop for 8,000 Panchayat Secretaries @ Rs. 40,000 per equipment – 320000000 | 3200.00 |
| 2.<br>3. | Remaining amount from unspent balance (4249-3200=10.79 lakh) may be utilised for committed liabilities of HR for E-Governance under e enablement component to utilise unspent balance of previous years. (As per 5(i) of Minutes) | 1079.38 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4279.38 |

- इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2016 पृथक से निर्देश प्राप्त हुए है कि अवशेष धनराषि को वर्ष 2015–16 की स्वीकृत गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकता है।

(1) 8,000 लैपटॉप क्रय कर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु हार्डवेयर खरीद सम्बंधी आई0टी0 विभाग के शासनादेश के अनुसार 5 नामित एंजेसियों में से यू0पी0एल0सी0 द्वारा कार्यापूर्ति कराने सम्बंधी कार्यादेश 20 जनवरी 2016 को जारी कर दिया गया था। इस सम्बंध में कार्यवाही यू0पी0एल0सी0 स्तर पर लंबित है।

(2) कार्यक्रम प्रबन्धन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एवं जनपद स्तर पर कार्यरत जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अन्तर्गत तैनात रिसोर्सेज की सेवाए मार्च, 2017 तक विस्तारित किया जाना निवेदित है।

(3) कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य स्तर पर 5 कन्सलटेंट, 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 2 हेल्पर एवं प्रत्येक जनपद एक परियोजना प्रबंधक कार्यरत है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर समिति से स्वीकृति निवेदित है।

1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

2. एस0पी0एम0यू एवं डी0पी0एम0यू0 में कार्यरत् रिसोर्सेज की सेवाएं 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 तक विस्तारित किए जाने पर कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु–3 वार्षिक योजना वर्ष 2015–16

- वर्ष 2015–16 हेतु शत्–प्रतिशत भारत सरकार के सहयोग से पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन के उद्देश्य से धनराशि रू0 104.00 करोड़ की कार्ययोजना भारत सरकार को उपलब्ध कराई गयी।
- भारत सरकार द्वारा सी.ई.सी. की आयोजित बैठकों दिनांक 17.09.2015 एवं 02.12.2015 के पश्चात् प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन करते हुए वर्ष 2015–16 में धनराशि रू. 96.746 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।
- अनुमोदित रू0 9674.6675 धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2016 को रू0 1100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

प्रस्ताव में अनुमोदित मुख्य गतिविधियां निम्नवत् हैं :–

Rs. in Lakh

| Activities proposed | Approved Budget |
|---|---|
| 1. राज्य, जनपद, विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण एवं ग्राम सभा की बैठक | |
| a) प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन (TNA-Training Need Assessment) | 5 |
| b) प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण | 5 |
| c) फिल्म, पठन सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण फिल्म/सी.डी आदि का निर्माण | 10 |
| d) राज्य, जनपद, विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण एवं ग्राम सभा की बैठक | 6059.776 |
| 2. ग्राम पंचायत स्तरीय विकेन्द्रित योजना तैयार करने हेतु सपोर्ट रिसोर्स ग्रुप | 3072.87 |
| PRIT को फैकल्टी सपोर्ट एवं लैब विकास हेतु सहयोग | 11.77 |
| 3. आई.ई.सी. (कुल योजना का 1 प्रतिशत) | 85.04 |
| 4. पी.एम.यू. (कुल योजना का 5 प्रतिशत) | 425.2115 |
| **Total Approved Plan** | 9674.6675 |

माननीय कमेटी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई।

एजेण्डा बिन्दु–4 वार्षिक योजना वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना के कियान्वयन की प्रगति

| वर्ष 2015–16 में सम्पादित गतिविधियॉं | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | गतिविधि / कार्य | मद | वित्तीय प्रगति (रू0 लाख में) | भौतिक प्रगति स्थिति | |
| 1. | 1. योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आंकलन। | क्षमता सवर्द्धन एव जी.पी.डी.पी. | 05.00 | 1. योजनान्तर्गत अनुमोदित गतिविधियों यथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन, ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रशिक्षण मॉडयूल का निर्माण, फिल्म, पठन सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण फिल्म / सी.डी आदि का निर्माण गिरि संस्थान द्वारा कराये जाने हेतु उनसे उक्त हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त किया जा चुका है। | पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| | 2. प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार करना (विषय–ग्राम पंचायत विकास योजना–GPDP) | | 05.00 | 3. गिरि संस्थान एवं पंचायती राज विभाग के मध्य उक्त प्रस्ताव गतिविधियों को सम्पादित करने हेतु एम0ओ0यू0 (मोमोरेडम ऑफ अंडरस्टैडिंग) हस्ताक्षरित किया जा चुका है। | |
| | 3. फिल्म, पठन सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण फिल्म / सी.डी आदि का निर्माण। | | 10.00 | 2. गिरि संस्थान द्वारा प्रशिक्षण मॉडयूल पर कार्य प्रारम्भ कर प्रथम ड्राफ्ट दिनांक 14 मार्च 2016 को प्रस्तुत किया गया है एवं संशोधन हेतु प्रेषित है। | |
| | जी0पी0डी0पी0 पर विभागीय अधिकारियो यथा मंडलीय उपनिदेशक एवं जिला पंचायत राज अधिकारियों का दो दिवसीय उन्मुखीकरण / प्रशिक्षण कार्यक्रम। | क्षमता सवर्द्धन एंव जी0पी0 डी0पी0 | – | भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण विभागीय अधिकारियो यथा मंडलीय उपनिदेशक एवं जिला पंचायत राज अधिकारियों का जी0पी0डी0पी0 पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिनांक 22 दिसम्बर 2015 को मासिक समीक्षा बैठक में किया जा चुका है। | |
| 2. | 1. आई0ई0सी0 अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग | | | 1. आई0ई0सी0 अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका की 10,000 प्रतियों के मुद्रण का | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | निर्देशिका की 10,000 प्रतियों का प्रकाशन। | आई0ई0 सी0 | 8.88 | कार्य पंचायत उद्योग केन्द्र, वाराणसी से कराया जा चुका है।<br><br>2. पंचायत उद्योग केन्द्र, वाराणसी द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को मार्गदर्शिका की 10,000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करा दी गई हैं। | |
| 3. | 1. ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन हेतु चयनित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पचायत प्रतिनिधियों हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना। | क्षमता सवर्द्धन एंव जी0पी0 डी0पी0 | 33.30 | 1. जी.पी.डी.पी. अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 21 जनवरी, 2016 से 7 फरवरी, 2016 में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (लोहिया भवन), अलीगंज, लखनऊ, उ. प्र. में 275 प्रतिभागियों को उद्यमिता विकास संस्थान, सरोजनी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर रोड, लखनऊ उ0प्र0 के सहयोग से किया गया।<br>2. चूंकि जनवरी माह 2016 तक प्रशिक्षण आयोजन हेतु आर0जी0पी0एस0ए0 अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि अवमुक्त नही की गई थी इसलिए प्रशिक्षण का आयोजन आर0जी0पी0एस0 ए0 अन्तर्गत गत वर्ष की कार्यक्रम प्रबंधन की अवशेष धनराशि से किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष 2015–16 की योजना अन्तर्गत अनुमोदित एवं प्राप्त धनराशि से किया जाना है। | पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| माननीय समिति से उपर्युक्त गतिविधियों पर कार्योत्तर स्वीकृति निवेदित है। | | | | | |
| वर्ष 2015–16 अन्तर्गत आगामी चयनित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु रणनीति निर्धारित किया जाना। | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन | आई0ई0सी0 | सम्भावित व्यय 2.50 लाख | 1. ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रचार–प्रसार एवं राज्य स्तरीय रिर्सोस ग्रुप के प्रसार एवं क्षमता संवर्द्धन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।<br>2. कार्यशाला के आयोजन पर होने वाले व्यय का वहन कार्यक्रम प्रबन्धन मद मे उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा जिसकी प्रतिपूर्ति 2015–16 के लिए अनुमोदित धनराशि के प्राप्त होने के पश्चात् कर ली जायेगी। | |
| 5. | ग्राम पंचायतो के उपयोगार्थ पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका की 60,000 प्रतियों का मुद्रण का कार्य। | आई0ई0सी0 | सम्भावित व्यय 53.31 लाख | ग्राम पंचायतों के उपयोगार्थ ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका की 60,000 प्रतियों के मुद्रण का कार्य दिया जाना है। | 1. पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका की 60,000 प्रतियों के मुद्रण पर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 6. | राज्य स्तर पर 546 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाना। | क्षमता संवर्द्धन | सम्भावित व्यय 57.83 लाख | योजना के कियान्वयन हेतु 546 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से किया जाना। दिनांक 26.02.2016 को श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित विडियों कान्फ्रेसिंग में जिलाधिकारियों द्वारा प्रति विकास खण्ड एक मास्टर की उपलब्धता की माँग की गई। | 2. योजना के कियान्वयन हेतु 546 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से आयोजित किये जाने पर कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। |

माननीय समिति से उपर्युक्त गतिविधियों पर स्वीकृति निवेदित है।

एजेण्डा बिन्दु–5– कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई अन्तर्गत गतिविधियों पर चर्चा एवं स्वीकृति।

1. डी0पी0एम0यू0 में कार्यरत जिला परियोजना प्रबंधकों का मानदेय बढ़ाये जाने संबंधी– डी0पी0एम0यू0 मे कार्यरत जिला परियोजना प्रबंधकों का मानदेय श्रीमती संघमित्रा त्रिपाठी, वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा प्राप्त ई–मेल एवं उसके साथ संलग्न प्रोफार्मा इन्वाइस दिनांक 05 जनवरी, 2016 द्वारा जिला परियोजना प्रबन्धकों के मानदेय हेतु जो विवरण

उपलब्ध कराया गया है, वह निम्नवत् है :–

| S. No. | Manpower Description | No. of Persons | Required Period (in Months/ days/hours) | Rate per Month | Total Amount (AxBxC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Programmers/Technical Support Enginees /Testing Engineer | 1 | Six Month(s) | 25,422.00 | 1,52,532.00 |
| 2. | Programmer Assistant | 1 | Six Month(s) | 20,799.00 | 1,24,794.00 |
| 3 | Senior Programmer Level-1 | 1 | Six Month(s) | 32,354.00 | 1,94,124.00 |

योजनान्तर्गत परियोजना प्रबन्धकों की प्रथम तैनाती जून, 2013 में हुई थी। तत्समय इनको निक्सी के प्रोफार्मा इन्वाइस दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सर्विस टैक्स को छोड़कर रू. 18,338/– मानदेय की धनराशि स्वीकृत की गई थी। जिला परियोजना प्रबन्धकों को कार्य करते हुए लगभग ढाई वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। ऐसी स्थिति में एन.आई.सी. के उक्त मेल दिनांक 05 जनवरी, 2016 से प्राप्त इन्वाइस में क्रमांक–1 से 3 तक श्रेणीवार दिये गये प्रोग्रामर असिसटेन्ट (जो प्रदेश में तैनात जिला परियोजना प्रबन्धकों के समतुल्य है।)

उक्त क्रम में एन.आई.सी. प्राप्त ई–मेल के अनुसार क्रमांक–2 पर उल्लिखित प्रोग्रामर असिसटेन्ट का मानदेय रू. 20,799/– क्रमांक–1 पर अंकित प्रोग्रामर/तकनीकी सहयोग के पद हेतु रू. 25,422/– एवं क्रमांक–3 पर उल्लिखित सीनियर प्रोग्रामर लेवल–1 हेतु रू. 32,354/– (देयकर एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त), संसूचित किया गया है। अतः निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ एक वर्ष के अनुभव वाले को रू. 20,799/– तथा दो से तीन वर्ष तक अनुभव वाले को रू. 25,422/– एवं तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले जिला परियोजना प्रबन्धकों को रू. 32,254/– (देयकर एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त), प्रस्तावित है।

स्टेट रिव्यू कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पंचायती राज विभाग में नये जिला परियोजना प्रबन्धकों की सेवाएं लेने पर रू. 20,799/– (देयकर एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त), दो वर्ष के अनुभव वाले जिला परियोजना प्रबन्धक को रू. 25,422/– (देयकर एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त) एवं तीन वर्ष के अनुभव वाले जिला परियोजना प्रबन्धकों को रू. 32,354/– (देयकर एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त) के आधार पर सहमति प्रदान करते हुए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

1. डी.पी.एम.यू. में कार्यरत जिला परियोजना प्रबंधकों का मानदेय प्रस्तावानुसार माह अप्रैल 2016 से बढ़ाये जाने पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

| | |
|---|---|
| इसी प्रकार राज्य परियोजना प्रबन्ध इकाई (एस0पी0एम0यू0) में तैनात ऑफिस असिसटेन्ट को भी वर्ष 2013 में सर्विस टैक्स को छोड़कर रू. 15,793/– मानदेय की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई में कार्य करते हुए लगभग ढाई वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इनके मानदेय की बढ़ोत्तरी के बिन्दु पर भी विचार किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि निक्सी की वेबसाइट पर मैनपावर सर्विस में उल्लिखित ऑफिस असिसटेन्ट हेतु दो साल के इन्क्रीमेन्ट के आधार पर मानदेय बढ़ोत्तरी की दर से रू. 21,283 (देयकर एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त) स्वीकृत है। अतः उक्तानुसार राज्य परियोजना प्रबन्ध इकाई (एस0पी0एम0यू0) में तैनात ऑफिस असिसटेन्ट का मानदेय बढ़ायें जाने पर विचार।<br>माननीय समिति से उपरोक्त पर अनुमोदन एवं स्वीकृति निवेदित है। | 2. राज्य परियोजना प्रबन्ध इकाई (एस0पी0एम0यू0) में तैनात ऑफिस असिसटेन्ट का भी मानदेय माह अप्रैल 2016 से रू. 21,283 (देयकर एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त) किए जाने पर कमेटी स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 2. एन0आई0सी0, बापू भवन में तकनीकी हेल्प डेस्क की स्थापना पर चर्चा–<br>प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 से दिनांक 31–03–2016 को आयोजित बैठक के क्रम में तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 द्वारा **एन0आई0सी0, बापू भवन में तकनीकी हेल्प डेस्क** की स्थापना का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2016 से प्रस्तुत किया गया है।<br>• ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से सभी ग्राम पंचायतों की योजनाओं को प्लान प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड किया जाना है। जिसके अनुश्रवण हेतु एन0आई0सी0 में अस्थाई रूप से तकनीकी हेल्प डेस्क को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।<br>• जिसमें 2 कर्मचारी तकनीकी सेवा के लिए एवं एक ऑफिस एसिसटेंट की आवश्यकता होगी। जो कि एस0पी0एम0यू0 को रिपोर्ट करेंगी।<br>माननीय समिति से उपरोक्त पर अनुमोदन निवेदित है। | 3. एन0आई0सी0 द्वारा एन0आई0सी0, बापू भवन में तकनीकी हेल्प डेस्क की स्थापना के प्रस्ताव पर पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा 4 रिसोर्सेज दिए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, वर्ष 2016–17<br>• भारत सरकार द्वारा डी0ओ0सं0 के0–11012/3/2016–सी0बी0, दिनांक 17 मार्च, 2016 द्वारा राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान को पुनर्संरचित करते हुए इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया।<br>• वित्तीय वर्ष 2016–17 की योजना तैयार करने हेतु राइटशॉप दिनांक 8–9 अप्रैल 2016 को गोवाहाटी में प्रस्तावित।<br>उपरोक्त बिन्दु माननीय समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत। | पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी संज्ञानित हुई। |
| एजेण्डा बिन्दु–6 : अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।<br>अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से श्री एस0एन0सिंह,उपनिदेशक(पं0)/ नोडल अधिकारी, आर0जी0पी0एस0ए0 द्वारा पंचायती राज निदेशालय, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ में 10 एम0बी0पी0एस0 इंटरनेट की लीज लाइन वाई0फाई0स्थापना के साथ उपलब्ध कराने हेतु बी0एस0एन0एल0 के प्रस्ताव सं0 यू0पी0(ई0)/ई0बी0/कमर्सियल/प्रोपोसल/जेनरल/2014–15/पी0टी03 | अन्य बिन्दुओं में मुख्य सचिव महोदय द्वारा पंचायती राज निदेशालय में बी0एस0एन0एल0 के प्रस्ताव पर (इंटरनेट |

| | |
|---|---|
| /7. दिनांक 02/04/2016 को कमेटी के समक्ष रखा गया।<br>उक्त प्रस्तावानुसार– 10एम0बी0पी0एस0 इंटरनेट की लीस लाइन वाई0फाई0स्थापना के साथ उपलब्ध कराने हेतु बी0एस0एन0एल0 को<br>1. वन टाइम चार्जेस्<br>2. रिकरिंग बैंडविथ चार्जेस्<br>3. वन टाइम ओ0एफ0सी(चार्जेस्) हेतु धनराशि उपलब्ध करानी होगी। | हेतु लीज लाइन, वाई0फाई0 सुविधा के साथ) स्वीकृति प्रदान की गई। |

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन/
सदस्य सचिव, पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी,
राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–3
संख्या– 1055/33–3–2016–60/2016
लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. श्रीमती शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0
5. समस्त सदस्यगण पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी।

(एस.पी..सिंह)
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।